

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र०सं०...../श्री शशि शेखर, श्रम अधीक्षक (प्रवासी) सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त (कार्यकारी प्रभार), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त (शोध), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2. उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक (बाल श्रम) (अतिरिक्त प्रभार- सहायक श्रमायुक्त (शोध), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को उनके अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024(खण्ड-I) श्र०सं०.....१६.../पटना-01, दिनांक-05/2/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना/श्री शशि शेखर, श्रम अधीक्षक (प्रवासी) सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त (कार्यकारी प्रभार), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक (बाल श्रम)/श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी०/प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव